

12.09.2023:—आज पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। मूल वादी-पत्र खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

